परिशिष्ट - 1

विधान सभा तारां प्र. क्र 328

प्रश्नांश रव की जानकारी

ग्राम कचनार पटवारी हल्का नं0 5/8 रा0नि0मं0 उमरेठ तहसील उमरेठ के निवासी मृतक श्याम कुमार पिता झांउआ जाति गौली द्वारा दिनांक 20/06/2017 को शाम 05 बजे कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की गई थी। जिसके कारण दिनांक 21/06/2017 को सुबह 09 बजे जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में उसकी मृत्यु हो गई।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया ने तहसीलदार उमरेठ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जिसके अनुसार ग्राम कोटवार एवं पटवारी द्वारा स्थल जांच में बताया की मृतक कृषक कि मानसिक स्थिति पूर्व से ठीक नही थी, दोनो पति पत्नि का प्रायः किसी बात को लेकर विवाद हुआ करता था, जिस दिन मृतक ने जहर पिया था। उस दिन भी दोनो में विवाद हुआ था। इसके पूर्व भी एक बार मृतक ने मोटरसाईकल सहित कुआं में कुदने की कोशिश की थी। मृतक के पुत्र पवन यदुवंशी द्वारा जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा में शव पंचनामा कार्यवाही के दौरान बताया कि मृतक ने जहर क्यो पिया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। (क)

मृतक के पुत्र पवन यदुवंशी द्वारा जिला चिकित्सालय छिन्दवाडा में थाना प्रभारी उमरेठ को दिये गये शव पंचनामा कार्यवाही के दौरान कथन में बताया कि दिनांक 20.06.2017 को मै मोटर साईकल से घर वापस आ रहा था, तो मैने मेरे पिताजी को रोड के किनारे खेत के मेड पर बैठे देखा उन्होने मुझे बुलाया तो मैने देखा कि मेरे पिताजी के बाजू मे कीटनाशक दवा का खाली डिब्बा पडा हुआ है। वे मुझसे बात नही कर पाये मैने तत्काल उनको परासिया अस्पताल ले गया जहां से उन्हे रिफर कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे पिताजी की 21.06.2017 को मृत्यु हो गई है। मेरे पिताजी की मृत्यु अज्ञात जहर खाने से हुई है, कैसे खाये, क्यो खाये यह मुझे मालूम नही है, मुझे किसी पर कोई शक संदेह नही है।

तहसीलदार उमरेठ के प्रतिवेदन अनुसार मृतक किसान के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 70 हजार का कर्ज था किन्तु बैंक द्वारा उक्त संबंध में वसूली हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मृतक किसान का महिन्द्रा फायनेंस कंपनी, विद्युत विभाग में कोई कर्ज नहीं था। मृतक किसान के पुत्र का महिन्द्रा फायनेंस कंपनी में कर्ज था, एवं विद्युत कंपनी में बिजली बिल का बकाया था। (ख)

पुलिस अधीक्षक ने इसी प्रश्न के उत्तर में प्रतिवेदित किया है कि थाना उमरेठ के आ.प्र.क्रं 34/17/धारा 174 जाफौ के मृतक श्यामकुमार की मृत्यु के संबंध में जांच पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्व लगाये गये आरोप निराधार पाये गये है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त पत्रानुसार यह स्पष्ट होता है कि मृतक ने कर्ज के कारण आत्महत्या नही की है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अपर कलेक्टर
छिन्दवाडा